न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या – 04/2024.

सी.आई.एस. नंबर – 04/2024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 174/2023 पुलिस थाना सावर.

सी.एन.आर. नंबर – आर.जे.ए.जे.130000902024.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. महावीर पुत्र धन्ना, आयु–42 वर्ष, निवासी–टांकावास, पुलिस थाना सावर, जिला–अजमेर.
2. कन्हैयालाल पुत्र कैलाश, आयु–30 वर्ष, निवासी भैरूजी का झोपड़ा, टांकावास, पुलिस थाना सावर, जिला–अजमेर.

.. अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता.

उपस्थितिः–

1. अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
2. श्री निर्मल चौधरी, अधिवक्ता अभियुक्तगण.

––––––

– **नि र्ण य** – **दिनांक–10 अप्रैल 2026.**

अभियोजन कहानी–

01– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 05.09.2023 को परिवादी हंसराज ने तहरीर रिपोर्ट इस आशय की दी कि वह दिनांक 01.09.2023 को गांव टांकावास से रामदेवरा पैदल रवाना होकर दिनांक 02.09.2023 को मसूदा पंहुचा जहां रात्रि 12.30 बजे मुझे गांव वालों ने सूचना दी कि मेरे पिता कैलाश गिर गए हैं।

वह रात्रि को ही मसूदा से रवाना होकर सुबह 05.00 बजे टांकावास पंहुचा। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी तथा उनके शरीर पर चोटों को निशान थे। मैने मेरे भाई कन्हैयालाल से पूछा कि पिता कन्हैयालाल के शरीर पर चोटें कैसे आई तो उसने बताया कि पिताजी शराब पीकर गिर गए थे। परिवारवालों व गांववालों ने मेरे पिता का दाह संस्कार कर दिया। दिनांक 04.09.2023 को मैने मेरे पिता की मृत्यु के बारे मं जानकारी ली तो पता चला कि मेरे भाई कन्हैयालाल ने मेरे पिता की हत्या कर हमें रिश्तेदार व गांव वालों से हत्या को छुपाने के लिए मेरे पिता का दाह संस्कार करवा दिया, आदि।

02– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सावर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–174/2023 अन्तर्गत धारा 302, 201 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण महावीर व कन्हैयालाल के विरूद्ध धारा 302, 201 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, केकडी, जिला–अजमेर के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट केकडी जिला–अजमेर द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 302 भा.दं.सं. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

03– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त कन्हैयालाल को धारा 302, 201 भा.दं.सं. व अभियुक्त महावीर को धारा 201 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	हंसराज	परिवादी बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं., नक्शा–मौका.
PW-02	दुर्गा	बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं., नक्शा–मौका. फर्द जब्ती पार्चेजात, खून आलूदा मिट्टी
PW-03	गणेश	बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं., नक्शा–मौका. फर्द जब्ती, पार्चेजात, खून आलूदा मिट्टी
PW-04	कन्हैयालाल	बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-05	पूजा कुमारी	बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-06	डॉ कैलाश चन्द्र	
PW-07	रमेश चन्द्र	एफ.एस.एल. जमाकर्ता, बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-08	बंसीलाल	बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-09	श्रवणलाल	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी, फर्द जप्ती पार्चेजात मृतक, फर्द तस्दीक नक्शा–मौका घटनास्थल व फर्द बरामदगी
PW-10	तेजमल	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी, फर्द जप्ती पार्चेजात मृतक, फर्द तस्दीक नक्शा–मौका घटनास्थल व फर्द बरामदगी

PW-11	मानवेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी

05– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाए:–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–02	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–03	फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–04	फर्द जब्ती घटनास्थल से ली गई मिट्टी.
प्रदर्श पी–05	फर्द पेशकशी व जब्ती मृतक के खूनआलूदा खाट के पाए, ईस, उपले.
प्रदर्श पी–06	मृत्यु प्रमाण पत्र कैलाशचन्द्र.
प्रदर्श पी–07	फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–08	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. श्रीमती दुर्गादेवी.
प्रदर्श पी–08	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. हंसराज.
प्रदर्श पी–09	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. कन्हैयालाल.
प्रदर्श पी–10	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. गणेश.
प्रदर्श पी–11	मोबाईल फोरेंसिक यूनिट, अजमेर द्वारा पुलिस अधीक्षक को धारा 65बी का शपथ पत्र भिजवाने बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–12	धारा 65बी का प्रमाण पत्र.
प्रदर्श पी–13	घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–14 से 18	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स.
प्रदर्श पी–19	थानाधिकारी सावर द्वारा पुलिस अधीक्षक को अग्रेषण पत्र बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–20	पुलिस अधीक्षक द्वारा एफ.एस.एल. को जारी पत्र.
प्रदर्श पी–21	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद.
प्रदर्श पी–22ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति.
प्रदर्श पी–23	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कन्हैयालाल.
प्रदर्श पी–24	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका घटनास्थल मुलजिम कन्हैयालाल
प्रदर्श पी–25	फर्द बरामदगी व जब्ती मृतक कैलाश की खाट की निवार
प्रदर्श पी–26	फर्द नक्शा–मौका मृतक कैलाश की खाट की निवार.
प्रदर्श पी–27	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त महावीर.
प्रदर्श पी–28	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका मुलजिम महावीर.
प्रदर्श पी–29	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका मुलजिम महावीर व कन्हैयालाल
प्रदर्श पी–30	फर्द जब्ती लकड़ी का डण्डा.
प्रदर्श पी–31	फर्द नक्शा–मौका बरामदगीस्थल लकड़ी का डण्डा.
प्रदर्श पी–32	फर्द पेशकशी व जब्ती मृतक कैलाश की वक्त घटना पहनी हुई कमीज.
प्रदर्श पी–33	प्रमाण पत्र धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम.
प्रदर्श पी–34	थानाधिकारी सावर द्वारा एफ.एस.एल. को जारी पत्र.

प्रदर्श पी–35 से 38	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त कन्हैयालाल.
प्रदर्श पी–39 व 40	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त महावीर.
प्रदर्श पी–41 से 49	नकल रपट रोजनामचा.
प्रदर्श पी–50	एफ.एस.एल. रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–51	आरोप पत्र.

06– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस के तहत अभियुक्तगण से लिया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में फोटो प्रदर्श डी–1 प्रदर्शित कराया।

07– बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। अतः निवेदन है कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

– <u>अभियुक्त अधिवक्ता के तर्क</u> –

08– इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है। मृतक घटना के समय शराब पिए होने से गिरने के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रकरण में प्रयुक्त की गई लाठी व खून आलूदा मिट्टी न्यायालय में पेश नही की है ना ही एफएसएल रिपोर्ट प्रत्रावली पर है जो यह दर्शित कर सके कि मृतक की हत्या की गई हो। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

09– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01–09–2023 को समय 10.30 पी.एम. या उसके लगभग भैरूजी का झोपड़ा टांकावास, पुलिस थाना सावर पर मृतक कैलाश जो कि तत्समय अपने मकान के बाहर खाट लगाकर सो रहा था, के लकड़ी के डण्डे से ताबड़तोड़ सिर, पैर, हाथ आदि पर प्रहार कर उसके साथ गम्भीर रूप से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की तथा अभियुक्तगण ने हत्या की साक्ष्य मिटाने के लिए कैलाश की लाश पर पानी डालकर उसके खूनआलूदा कपड़े बदलकर लाश को मौके से हटाकर मकान की पोल में रखवाकर हत्या की साक्ष्य का विलोपन कारित किया ?

2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

– <u>विचारणीय बिन्दु संख्या–एक</u> –

10– अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध कराई है, जिनमें से **गवाह पी.ड.–1 हंसराज** ने साक्ष्य दी है कि वह टाकियावास में खेतीबाडी का काम करता है। उसके परिवार में पिता कैलाश, माता दुर्गा देवी व भाई कन्हैयालाल हैं। आज से करीब 06 महीने पहले वह रामदेवरा जा रहा था तथा मसूदा पंहुचा जहां पर गांव वालों ने उसे फोन पर बताया किया उसके पिता तबीयत बिगडने से सिर में पत्थर की चोट लगी है। वह सुबह 06 बजे गांव आया तथा गांव पंहुचा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसने पिता की लाश को देखा था तथा पिता के सिर पर चोट लगी थी। उसे गांव वालों ने बताया कि उसके पिता शराब पीकर गिर गए थे, जिसके कारण चोटें आई। उसके पिताजी के साथ किसी ने मारपीट नहीं की। यह गवाह अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया है तथा **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि वह गांव पंहुचा उसी दिन उसके पिता का दाह संस्कार कर दिया था। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 दी थी, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–02 है। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 बनाया तथा घटनास्थल से मिट्टी को जरिए फर्द प्रदर्श पी–04 जप्त किया तथा ईस उपले व पांए को जरिए फर्द प्रदर्श पी–05 जप्त किया। उसने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–06 पुलिस वालों को दिया था। नक्शा मौका शमशान प्रदर्श पी–07 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि दाह संस्कार के बाद उसे गांव वालों व माता ने बताया हो कि कन्हैयालाल ने उसके पिता के साथ लाठी से मारपीट कर हत्या की तथा उसके पिता जिस खाट पर सो रहे थे उस पर खून लगा था तथा महावीर व कन्हैयालाल ने खाट की निवार व ईस को पानी से धो दिया है। यह कहना गलत है कि कन्हैयालाल ने शराब पीकर उसके पिता के साथ लाठी से मारपीट की जिस कारण उनके चोटें आई, जिसके कारण मृत्यु हुई। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–08 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया। यह सही है कि कन्हैयालाल उसका सगा भाई है। यह कहना गलत है कि उसे बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हूं।

11– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उसके पिता शराब पीते थे तथा शराब पीने के कारण पत्थर पर गिरने से सिर पर चोटें आई थी तथा उसके घर पर पट्टियां लगी हुई है। प्रदर्श डी–01 देखकर बताया कि इसी पट्टी पर उसके पिता गिरे थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उसने तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 का सी से डी भाग पुलिस को नहीं लिखाया, उसने तो केवल हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी–03 लगायत पी–05 व पी–07 पर हस्ताक्षर थाने पर किए थे।

12– **गवाह पी.ड.–2 दुर्गा** ने साक्ष्य दी है कि उसके दो पुत्र हैं बडा कन्हैयालाल व छोटा हंसराज। करीबन 06 महीने पुरानी बात है। वह व उसका पुत्र कन्हैयालाल घर के अंदर सो रहे थे। आवाज आने पर वह व उसका पुत्र कन्हैयालाल ने देखा कि उसके पति कैलाश पत्थर पर गिर गए थे तथा उनके सिर पर चोट आई है। हम चिल्लाए तो गांव वाले आ गए। कैलाश के साथ किसी ने मारपीट नहीं की। यह गवाह अभियोजन पक्ष के द्वारा

पक्षद्रोही घोषित किया है तथा **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसके पुत्र कन्हैयालाल ने शराब पीकर उसके पति कैलाश के साथ लकडी से मारपीट की हो जिसके कारण उनकी मृत्यु को गई हो। उसे पता नहीं है कि उसके पुत्र हंसराज ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई हो। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके समक्ष नहीं बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 व फर्द जप्ती प्रदर्श पी–04 पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसके पुलिस बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–08 को ए से बी भाग व सी से डी भाग गवाह को पढकर सुनाया तो गवाह ने ऐसे बयान देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि कन्हैयालाल उसका पुत्र होने के कारण झूठे बयान दे रही हूं।

13– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने मेरे सामने कोई नक्शा–मौका नहीं बनाया। यह सही है कि उसके पति कैलाश शराब पीने के आदि थे तथा घर के बाहर पडी पट्टी के उपर गिर गए थे, जिसके कारण उनके सिर पर चोट आई तथा उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पति के साथ कन्हैयालाल ने कोई मारपीट नहीं की थी। पुलिस वालों ने प्रदर्श पी–03 व पी–04 पर थाने पर अंगूठा निशानी करवाई थी।

14– **गवाह पी.ड.–3 कन्हैयालाल** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.09.2023 की बात है। उस दिन सुबह 04 बजे उसे पता चला कि कैलाश की मृत्यु हो गई है तथा समाज के नाते वह कैलाश के घर गया जहां पर उसकी लाश पडी हुई थी। उसने कन्हैयालाल व महावीर से पूछा कि कैलाश की मृत्यु कैसे हुई तो उन्होने बताया कि कैलाश शराब पिए हुए है तथा गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसने महावीर व कन्हैया को रिपोर्ट दर्ज करावने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसने कैलाश की लाश को देखा था। उसके शरीर पर खून के निशान थे। उसे पता नहीं कि कैलाश के साथ किसी ने मारपीट की हो। यह गवाह अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया है तथा **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसने गांव में सुना हो कि कन्हैयालाल ने कैलाश के साथ मारपीट की हो, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी–09 का ए से बी भाग ''मैने गणेश..... सबूत नष्ट किए हों'' पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि वो मुलजिमानों से मिलकर झूठे बयान दे रहा हो। **बचाव पक्ष** के द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई।

15– **गवाह पी.ड.–04 गणेश** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीब 8–9 महीने पुरानी बात है। करीबन एक–डेढ बजे की बात है, फोन आया कि कैलाश की मृत्यु हो गई हैं वह कैलाश के घर गया जहां उसकी पत्नी दुर्गा व कन्हैयालाल बैंठे थे। सुबह गांव वाले व समाज के लोग आ गए थे तथा कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया। उसे पता नहीं है कि कन्हैयालाल ने कैलाश के साथ मारपीट की हो जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। यह गवाह अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया है तथा **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि दाह संस्कार के समय कन्हैयालाल, महावीर व गांव के काफी लोग मौजूद थे। पुलिस मौके पर आई थी तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 बनाया, पुलिस ने घटनास्थल से साधारण मिट्टी को जरिए प्रदर्श पी–04 तथा खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श पी–05 जप्त किया था।

नक्शा मौका शमशानघाट प्रदर्श पी–07 बनाया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसके पुलिस बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 का ए से बी भाग ''कैलाश की मृत्यु.....सूचना करेगा'' तथा सी से डी भाग ''इसका अंतिम संस्कार..... सबूत नष्ट किया गया'' सुनकर कहा कि उसने पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि उसने सुना हो कि कन्हैयालाल ने कैलाश के साथ मारपीट की हो जिसके कारण कैलाश की मृत्यु हुई हो। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान का बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा है। **बचाव पक्ष की जिरह मे** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–03 लगायत पी–05 व फर्द प्रदर्श पी–07 पर हस्ताक्षर थाने पर करवाए थे तथा उसे जानकारी नहीं है कि उक्त फर्द पर हस्ताक्षर किस बात के करवाए थे।

16– **गवाह पी.ड.–05 पूजा कुमारी** ने साक्ष्य दी है कि आज से करीब 09 महीने पहले की बात है। वह भटियाणी में उसके ससुराल में थी। उसे दिनांक 05 को पता चला कि उसके पिता कैलाश की हत्या कर दी है। उसके पिता की हत्या, कन्हैयालाल, महावीर उसकी मां दुर्गा, सत्यनारायण, अज्या, उसकी बहन मैना ने कुल्हाडी से मारपीट कर हत्या कर दी है तथा सुबह जल्दी ही उसके पिता का दाह संस्कार कर दिया। उसके पिता की हत्या जमीन खाने की वजह से की थी। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी शादी सन् 2015 में भटियाणी गांव में हुई थी। मेरे शादी के बाद मेरे भाई कन्हैयालाल, हंसराज, मां व दादी ने उसके साथ मारपीट की थी क्योंकि वे मुझे ससुराल नहीं जाने देते थे तथा उसके पापा ने उसे ससुराल भिजवाया था। मुझे घटना की सूचना अखबार व मोबाईल से मिली थी तथा जानकारी होते ही वह सीधे थाना सावर गई थी। यह सही है कि मेरे पिता की हत्या मेरी मां, सत्यनारायण, अज्या, महावीर व कन्हैयालाल ने कुल्हाडी से मारकर कर दी है, यह बात पुलिस बयान में लिखाई थी। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी आदतन शराबी हों। यह बात सही है कि मेरे भाई व मां से आपस में बोलचाल नहीं होने के कारण मैं मुलजिमानों के खिलाफ बयान देने आई हूं।

17– **गवाह पी.ड.–06 डॉ. कैलाश चन्द्र** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 05.09.2023 को कन्ट्रोंल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि एफआईआर 174/2023 अन्तर्गत धारा 302, 201 आईपीसी पुलिस थाना सावर के ग्राम टांकिया वास में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दिनांक 05.09.2023 को समय 07.00 एएम पर एफएसएल टीम के रूप में रवाना होकर लगभग 10.30 बजे के आसपास घटनास्थल पर पंहुचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। निरीक्षण रिपोर्ट का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 है, धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–12 है, घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है, मौके पर खिंचवाए गए फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–14 लगायत पी–18 है तथा फोटोग्राफ प्रदर्श डी–01 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि हम घटनास्थल पर सरकारी वाहन से गए थे तथा लॉग बुक भरी थी, लेकिन लॉग बुक की प्रति पत्रावली पर पेश नहीं है। हमने प्रदर्श पी–11 लगायत पी–13 कार्यालय में टाईप कराए थे। हमने फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–14 लगायत पी–18 व डी–01 कैमरे से लिए थे, उस कैमरे की मैमोरी कार्ड

पुलिस को नहीं दी ना ही पत्रावली पर पेश है। यह कहना गलत है कि हम मौके पर नहीं गए हों और फोटोग्रफस नहीं लिए हों।

19– **गवाह पी.ड.–07 रमेशचन्द्र** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 21.09.2023 को थाना सावर में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एचएम मालखाना बंशीलाल हैड कानि. ने मुकदमा नम्बर 174/2023 में घटनास्थल टांकावास से लिए गए सैम्पल मार्का ए लगायत ई वास्ते एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक केकडी को अग्रेषण पत्र बनाकर एफ.एस.एल. जमा कराने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कार्यालय केकडी जाकर अग्रेषण पत्र क्रमांक एफ.एस.एल. केकडी 2023/46 दिनांक 21.09.2023 बनाकर एफ.एस.एल. अजमेर सीलशुदा सैम्पल मार्का ए लगायत ई एफ.एस.एल. हेतु जमा कराकर जमा रसीद प्राप्त की। जमा रसीद नम्बर आर.एफ.एस.एल. (एजेएम) 3889/एसईआर/23 दिनांक 22.09.2023 जमा रसीद प्राप्त कर एच.एम. मालखाना को सुपुर्द की। दिनांक 23.09.2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना सावर में मेरे 161 सी.आर.पी.सी. के बयान दर्ज किए। थानाधिकारी पुलिस थाना सावर का एफ.एस.एल. लेटर प्रदर्श पी–19, पुलिस अधीक्षक महोदय केकडी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर को भेजा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20 है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर की पावती रसीद प्रदर्श पी–21 है। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैने मालखाना प्रभारी बंशीलाल से सीलबन्द सैंपल मय एफ.एस.एल. लैटर एफ.एस.एल. अजमेर में जमा कराने कराने हेतु प्राप्त किए थे तथा मैंने दिनांक 22.09.2023 को एफ.एस.एल. की प्राप्ति रसीद केकड़ी थाने पर दी थी।

20– **गवाह पी.ड.–08 बंशीलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 05.09.2023 व 06.09.2023 को पुलिस थाना सावर पर हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उसके पास मालखाना का चार्ज था। मुकदमा संख्या 174/2023 धारा 302, 201 आई.पी.सी. में जप्तशुदा आर्टिकल मार्का–ए से ई जप्त कर जमा मालखाना कराया, जिसके मद संख्या 90/2023 अंकित है, जो असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–22 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मुकदमा नंबर, ई से एफ माल एफ.एस.एल. जमा कराने, अग्रेषण पत्र बनाने आदि का विवरण है तथा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–22ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–20 है। थानाधिकारी का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–19 है। जप्तशुदा आर्टिकल को दिनांक 21.09.2023 को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु अजमेंर में थानाधिकारी द्वारा बनाया गया अग्रेषण पत्र को जमा कराने हेतु कानि. 2455 रमेश के साथ केकडी व अजमेर भिजवाया गया जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–21 है। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैने सी.आई. के निर्देश से जप्तशुदा आर्टिकल को कानि. रमेश को सुबह 09 बजे दिए थे तथा रमेश ने मुझे एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 23.09.2023 को दी थी।

21– **गवाह पी.ड.–09 श्रवणलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 05.09.2023 को कानिस्टेबल के पद पर पुलिस थाना सावर में पदस्थापित था। उसके व कानि. तेजमल के समक्ष दिनांक 05.09.2023 को सीआई साहब ने मुल्जिम कन्हैयालाल को जरिए

फर्द प्रदर्श पी–23 गिरफ्तार किया था। मुल्जिम कन्हैयालाल की निशांदेही से नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–24 बनाया, फर्द जप्ती खाट की निवार प्रदर्श पी–25 है, तस्दीक बरामदगी स्थल खाट की निवार प्रदर्श पी–26 है, मुल्जिम महावीर को दिनांक 06.09.2023 को जरिए फर्द प्रदर्श पी–27 गिरफ्तार किया था, मुल्जिम महावीर की निशादेही से नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–28 बनाया, मुल्जिम महावीर की निशादेही से फर्द तस्दीक नक्शा मौका शमशान प्रदर्श पी–29 बनाया। अपराध में प्रयुक्त लकडी के डण्डे को जरिए फर्द प्रदर्श पी–30 जप्त किया। अपराध में प्रयुक्त लकडी के डंडे को जिस स्थान से बरामद किया उसका बरामदगी स्थल बनाया जो प्रदर्श पी–31 है, उपरोक्त फर्दात पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि फर्द प्रदर्श पी–29 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है लेकिन फर्द उसके समक्ष बनाई थी। मुझे आज याद नहीं है कि फर्द बरामदगी स्थल खाट की निवार प्रदर्श पी–26 दिनांक 09.06.2023 को किस समय बनाई थी। अपराध में प्रयुक्त डण्डे की लंबाई सवा तीन फीट है। मेरी जानकारी में नहीं है कि फर्द प्रदर्श पी–26 व पी–31 किस समय तैयार की थी।

22– **गवाह पी.ड.–10 तेजमल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 05.09.2023 को वह थाना सावर पर कानि के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी मानवेन्द्र के साथ वह साथी जाप्ता प्रकरण संख्या 173/2023 अनुसंधान हेतु थाने से रवाना होकर गांव टांकिया वास पंहुचे जहां कैलाश के मकान पर मृतक के परिवारजन उपस्थित मिले। थानाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया व घटनास्थल से मिट्टी जप्त की। मकान के अन्दर मृतक कैलाश की चारपाई खुली अवस्था में पडी थी तथाा प्रार्थी हंसराज ने बताया कि अभियुक्त कन्हैयालाल द्वारा कैलाश की हत्या करने के बाद खून से भरी होने व बाद में खोलकर रखा था।

23– **गवाह पी.ड.–10 तेजमल** ने यह भी साक्ष्य दी है कि चारपाई पर खून लगा हुआ था तथा उक्त चारपाई के पाए ईस व उपले को खुली अवस्था में जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का–बी अंकित किया। चारपाई के पाए ईस व उपले को जरिए प्रदर्श पी–05 जप्त किया। प्रार्थी हंसराज ने उसके पिता वक्त घटना पहने हुए कमीज सफेद हल्का भूरा पेश किया तथा बताया कि कमीज पर खून आलूदा को अंतिम संस्कार के बाद धो दिया। कमीज को जरिए फर्द प्रदर्श पी–32 जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का–सी अंकित किया। प्रार्थी के बताए अनुसार शमशान भूमि पर पंहुचकर मृतक को जलाने वाले स्थान का नक्शा मौका प्रदर्श पी–07 बनाया। मुलजिम कन्हैयालाल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–23 गिरफ्तार किया। अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अनुसार मृतक की चारपाई की निवार को गहरे खड्डे से निकालकर एक कट्टे में डालकर सील्ड मोहर कर मार्का–डी अंकित किया। फर्द जप्ती निवार प्रदर्श पी–25 है। अभियुक्त कन्हैयालाल की इत्तला के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकडी के डण्डे को जरिए प्रदर्श पी–30 जप्त किया। अभियुक्त की इत्तला अनुसार डण्डे का बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–26 तथा निवार का बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–31 बनाया गया। अभियुक्त महावीर को जरिए फर्द प्रदर्श पी–27 गिरफतार किया गया तथा उसकी इत्तला के अनुसार मृतक के मकान का

तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–28 बनाया। दोनो अभियुक्तगण की इत्ला के अनुसार शमशान का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–29 बनाया, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण कार्यवाही कर थाने आए तथा थानाधिकारी के निर्देशानुसार रोजनामचा में इन्द्राज किया जिसकी रपट पत्रावली पर है। उक्त रपट के संबंध में उसके द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश पी–33 दिया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

24– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे आज याद नहीं है कि सीलों पर क्या अंकित था। खाट के चारों पायों की लंबाई लगभग 02 फीट तथा उपलों की लंबाई 03 फीट थी। लकडी के उपले दो, ईस के दो तथा पायें चार थे। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–07 बनाते समय प्रार्थी व गवाह गणेश के अलावा अन्य कोई उपस्थित नहीं था। आज मुझे याद नहीं है कि लकडी का डण्डा प्रदर्श–03 जो बरामद किया था, वो किस लकडी व रंग का था। लकडी के डण्डे की मोटाई 04 सेमी. थी। यह कहना गलत है कि मैंने उपरोक्त फर्दात पर थाने पर बैठकर हस्ताक्षर किए हों।

25– **गवाह पी.ड.–11 मानवेन्द्र सिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनंाक 05.09.2023 को थाना सावर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रार्थी हंसराज ने रिपोर्ट उसके पिता कैलाश की हत्या बाबत् पेश की, कि उसके भाई कन्हैयालाल ने उसके पिता की हत्या कर दी व घटना को हमसे छुपाकर मृतक का दाह संस्कार करवा दिया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–02 है तथा तफतीश अपने जिम्मे ली। दौराने तफतीश घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–03 बनाया, घटनास्थल से मिट्टी को जरिए फर्द प्रदर्श पी–04, खून आलूदा, खाट के पाए, ईस उपले को जरिए फर्द प्रदर्श पी–05 जप्त किया, घटनास्थल का द्वितीय नक्शा मौका प्रदर्श पी–07 बनाया, जिन पर गवाहान व उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

26– **गवाह पी.ड.–11 मानवेन्द्र सिंह** ने यह भी साक्ष्य दी है कि गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। दौराने अनुसंधान एफ.एस.एल. टीम अजमेर को जरिये तहरीर प्रदर्श पी–34 वास्ते निरीक्षण घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय केकडी को निरीक्षण रिपोर्ट एवं 65 बी का शपथ पत्र भिजवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–11 है, धारा 65 बी साक्ष्य अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश पी–12, एफ.एस.एल. यूनिट अजमेर की रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है। एफ.एस.एल. टीम के द्वारा मौके के खींचे गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–14 लगायत पी–18 है। अभियुक्त कन्हैयालाल को जरिए फर्द प्रदर्श पी–23 तथा अभियुक्त महावीर केा जरिए फर्द प्रदर्श पी–27 गिरफतार किया जिन पर गवाहान, अभियुक्तगण व उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त कन्हैयालाल ने दौराने हिरासत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–35 दी कि उसने जिस स्थान पर लकडी के डण्डे से मारकर हत्या की वो जगह चलकर बता सकता हूं। उक्त इत्तला के आधार पर अभियुक्त की निशादेही से नक्शा–मौका प्रदर्श पी–24 तस्दीक किया गया, जिन पर गवाहान, अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर है।

27– **गवाह पी.ड.–11 मानवेन्द्र सिंह** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त कन्हैयालाल

ने धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–36 दी कि जिस खाट पर पिताजी का खून किया उस खाट की निवार को खोलकर पानी में डाल दिया तथा जिस जगर निवार पानी में डाली वो स्थान चलकर बता सकता हूं। उक्त इत्तला के आधार पर खाट की निवार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–25 जप्त किया गया तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–26 तस्दीक किया गया। इसी तरह अभियुक्तगण ने धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–37 लगायत पी–40 दी किय जिस जगर हत्या के बाद लाश का अंतिम संस्कार किया वो स्थान चलकर बता सकते है। उक्त इत्तला के आधार पर दाह स्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–29 बनाया, जिन पर गवाहान, अभियुक्तगण व उसके हस्ताक्षर है।

28– **गवाह पी.ड.–11 मानवेन्द्र सिंह** ने यह भी साक्ष्य दी है कि अभियुक्त कन्हैयालाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्लाद दी कि जिस डण्डे से मारपीट की थी वो डण्डा नाडी के पानी में फैंक दिया है वो जगर चलकर बता सकता हू। उक्त इत्तला के आधार पर नक्शा मौका प्रदर्श पी–31 तस्दीक किया तथा डण्डे को जरिए प्रदर्श पी–30 जप्त किया, अभियुक्त महावीर के द्वारा 27 की इत्तिला प्रदर्श पी–39 दी कि कैलाश की हत्या करने के बाद जिस स्थान पर लाश को छुपाकर रखा था वह स्थान चलकर बता सकता हूं। उक्त इत्तिला के आधार पर अभियुक्त महावीर की निशांदेही से नक्शा–मौका प्रदर्श पी–28 तस्दीक किया, जिन पर गवाहान, अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. जमा कराने हेतु एस.पी. केकडी की तहरीर प्रदर्श पी–19 है, एस.पी. का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–50 है, एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श–21 है, जिस पर उसका पृष्ठांकन मय हस्ताक्षर हैं। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–06 है। रोजनामचे की नकल प्रदर्श पी–41 लगायत पी–49 है। कानि. तेजमल द्वारा रोजनामचे की नकल के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण प्रदर्श पी–33 दिया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 है। सम्पूर्ण तफतीश से अभियुक्त कन्हैयालाल के विरूद्ध धारा 302, 201 आईपीसी तथा अभियुक्त महावीर के विरूद्ध धारा 201 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरूद्ध न्याायलय में चालान प्रदर्श पी–51 पेश किया।

29– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि नक्शा प्रदर्श पी–03 बनाते समय चश्मदीद गवाह दुर्गा देवी उसका पुत्र हंसराज पडौसी दिनेश व अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद थे। नक्शा–मौका शमशान घाट प्रदर्श पी–07 बनाने का निश्चित समय पत्रावली देखकर बता सकता हूं। मैंने नक्शा–मौका प्रदर्श पी–04 मौके पर बनाय था तथा स्वतंत्र गवाह कौन कौन थे पत्रावली देखकर बता सकता हूं। चारपाई के डण्डे जो बीच के होते हैं लगभग 05 से 06 फीट के थे तथा पाए ढाई फीट के थे तथा साईड वाले डण्डे लगभग ढाई फीट के थे। घटना दिनांक 02 तारीख को रात्रि 10.30 बजे के आसपास की थी। मैं पत्रावली देखकर बता सकता हूं कि इत्तिला प्रदर्श पी–35 लगायत पी–40 कितने बजे दी थी। घटनास्थल प्रदर्श पी–24 में एक्स स्थान पर लकडी का डण्डा बरामद हुआ था। अभियुक्त कन्हैयाल व महावीर की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–29 दिनांक 07.09.2023 को बनाया था लेकिन समय याद नहीं है। निवार सफेद रंग की तथा 6.5–7.5 किलोग्राम की थी तथा निवार कपडे की थैली में रखी थी, जिसे सील चेपा किया था। डण्डा कितना लम्बा व मोटा था, पत्रावली

देखकर बता सकते हैं। प्रदर्श पी–31 दिनांक 07.09.2023 को बनाई थी, लेकिन समय पत्रावली देखकर बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैंने प्रकरण में गलत अनुसंधान कर अभियुक्तगण को प्रकरण में परिवादी के कहने पर झूठा फंसाया हो।

30– उपरोक्त समस्त साक्ष्य पर एकसाथ विचार किया जावे तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **गवाह पी.ड.–1 हंसराज** जो कि एफ.आई.आरकर्ता है, के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि गांववालों ने उसे बताया था कि उसके पिता के गिरने से सिर पर पत्थर की चोट लगी। **गवाह पी.ड.–2 दुर्गा** के द्वारा भी साक्ष्य दी गई है कि उसके पति कैलाश पत्थर पर गिर गए थे, जिसके कारण उसके सिर पर चोट आई थी। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–3 कन्हैयालाल व पी.ड.–4 गणेश** जो कि परिवादी के पड़ौसी हैं, के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उन्हें पता नहीं कि कैलाश की मृत्यु कैसे हुई। ये सभी गवाहान अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा गवाहान ने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–8 लगायत पी–11 को पूर्णतः नकारा है तथा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। **गवाह पी.ड.–5 पूजा** जो कि परिवादी की बहन हैं, के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसके पिता की हत्या कन्हैयालाल, महावीर, दुर्गा, सत्यनारायण ने कुल्हाड़ी से मारपीट कर की थी तथा उसका जल्दी से दाह–संस्कार कर दिया तथा उसके पिता की हत्या जमीन खाने की वजह से हुई। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह सन् 2015 के बाद पीहर नहीं आई है तथा यह सही है कि मेरे भाई व मां आपस में बोलचाल नहीं होने के कारण मैं मुलजिमान के खिलाफ बयान देने आई हूं। **गवाह पी.ड.–6 कैलाशचन्द** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। **गवाह पी.ड.–7 रमेशचन्द** के द्वारा प्रकरण में अग्रेषण पत्र तैयार करने एवं सेम्पल मार्का–ए लगायत मार्का–ई को एफ.एस.एल. जमा कराने के संदर्भ में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–8 बंशीलाल** के द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा माल को जाम मालखाना किए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। **गवाह पी.ड.–9 श्रवणलाल** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसके समक्ष मुलजिम को गिरफ्तार किया था तथा मुलजिम के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर नक्शा–मौका तस्दीक किया गया था तथा प्रकरण में प्रयुक्त की गई लकड़ी के डण्डे को जब्त किया तथा बरामदगीस्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। **गवाह पी.ड.–10 तेजमल व पी.ड.–11 मानवेन्द्र** के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान कर अनुसंधान के संदर्भ में साक्ष्य दी है।

31– हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण मामला अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला पर आधारित है। धारा 25 व 26 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं है। हालांकि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला धारा 25 व 26 साक्ष्य अधिनियम का अपवाद है और दोनों धाराओं के लिए एक प्रावधान के रूप में कार्य करती है। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम इकबालिया बयान की स्वीकार्यता पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से सही व हटाया जा सकता है। न्यायालय को यह देखना है कि अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर कोई नवीन तथ्य की खोज की गई तथा अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में था तथा क्या धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अपने आपमें पूर्ण थी। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य का

अवलोकन किया जावे तो **अभियुक्त कन्हैयालाल** को जरिए फर्द प्रदर्श पी–23 गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त कन्हैयालाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–35 दी है कि ''दिनांक 02–09–2023 रात्रि में मैंने मेरे पिता कैलाश के साथ जिस जगह पर लकड़ी के डण्डे से मारपीट कर हत्या की, वह जगह चलकर बता सकता हूं''। इसी तरह से अभियुक्त कन्हैयालाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी है कि ''दिनांक 02–09–2023 को रात्रि में मैंने मेरे पिता कैलाश की लकड़ी के डण्डे से मारपीट कर हत्या की थी, वह डण्डा मैंने नाडी के पानी में फेंक दिया था, जो चलकर बरामद करा सकता हूं''। अभियुक्त के द्वारा दी गई उक्त इत्तिला के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डण्डे को जरिए फर्द प्रदर्श पी–30 जब्त किया गया है तथा बरामदगीस्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–31 बनाया गया है। अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–36 दी कि ''दिनांक 02–09–2023 की रात्रि को मैं मेरे पिता कैलाश के साथ सोते हुए के साथ लकड़ी के डण्डे से हत्या की, जिससे मेरे पिता का खून खाट पर लग गया था। मैंने उस खाट की निवार को खोलकर नाड़ी के पानी में डाल दिया। मैं नाडी के पानी में जिस जगह पर निवार डाली थी, वह जगह चलकर बता सकता हूं''। उक्त इत्तिला के आधार पर मृतक कैलाश के खाट की निवार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–25 जब्त किया था तथा फर्द बरामदगी खाट की निवार का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–26 बनाया गया।

32– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के अलावा ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शित कर सके कि अभियुक्त कन्हैयालाल ने अपने पिता कैलाश की लकड़ी के डण्डे से मारपीट कर हत्या कारित की हो। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का यह कहना है कि अभियुक्त कन्हैयालाल द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर प्रकरण में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा व खाट की निवार एवं पाये बरामद किए गए हैं, जिन्हें एफ.एस.एल. भेजा गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–50 है, जिसमें मार्का–ए लगायत ई को एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा गया था तथा मृतक की कमीज के संबंध में रिपोर्ट नेगेटिव है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में प्रकरण में प्रयुक्त की गई लाठी एवं मृतक के कपड़ों को मृतक के रक्त समूह से जोड़ा जा सके, ऐसा कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला है तथा यह अभियोजन के मामले में एक महत्वपूर्ण कमी है, जिससे अभियोजन कहानी कमजोर हो जाती है। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अपने आपमें एक कमजोर साक्ष्य है, जिसकी संपुष्टि अन्य साक्ष्य से नहीं हो रही है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त कन्हैयालाल के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. का अपराध साबित करने में असफल रहा है।

– <u>अपराध अन्तर्गत धारा 201 भा.दं.सं. के संबंध में विवेचन</u> –

33– जहां तक अभियुक्त कन्हैयालाल व महावीर के विरूद्ध धारा 201 भा.दं.स. के आरोप का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष को निम्न सह घटक को साबित करना है–

1. अभियुक्तगण यह जानते थे या विश्वास रखने का कारण रखते थे कि कोई

अपराध किया गया है,
2. अभियुक्तगण ने उक्त अपराध की साक्ष्य का विलोप किया था,
3. अभियुक्तगण ने ऐसा इस आशय से किया कि आरोपी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या अभियुक्तगण ने उस आशय के संबंध में इत्तिला दी, जिसका मिथ्या होने का उन्हें ज्ञान या विश्वास था,
4. अपराध किसी दण्ड से दण्डनीय था।

34– उपरोक्त कानूनी सहघटक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है, उस पर विचार किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 हंसराज** जो कि परिवादी है, ने साक्ष्य दी है कि उसे गांववालों ने फोन करके बुलाया था कि उसके पिता के गिरने से सिर में चोट लगी है तथा उसके पिताजी शराब पीकर गिर गए थे। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत हैकि कन्हैयालाल ने शराब पीकर उसके पिता के साथ लकड़ी से मारपीट कर हत्या की तथा कन्हैयालाल व महावीर ने खाट की निवार व ईस को पानी से धो दिया था। यह कहना गलत है कि शमशान घाट का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–7 उसके सामने बनाया हो तथा बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उसके पिताजी शराब पीने के कारण पत्थर पर गिर गए थे, जिससे उनके चोटें आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फोटो प्रदर्श डी–1 में इसी पट्टी पर उसके पिता गिरे थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–2 दुर्गा** जो कि मृतक की पत्नी है, के द्वारा भी साक्ष्य दी गई है कि उसके पति पत्थर पर गिर गए थे, जिसके कारण सिर पर चोटें आने से उनकी मृत्यु हो गई थी तथा यह गवाह भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा पुलिस बयान को पूर्णतः नकारा है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त महावीर को जरिए फर्द प्रदर्श पी–27 गिरफ्तार किया गया है। **अभियुक्त महावीर** के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–39 दी हैकि ''दिनांक 02–09–2023 की रात्रि में कन्हैयालाल ने अपने पिता कैलाश की हत्या करने के बाद मुझे बुलाकर अपने घर ले गया, तब मेरे भाई कैलाश की लाश को देखकर मैंने कन्हैयालाल को हत्या की बात छिपाने व कैलाश को नशे में गिरने व चोट आने से मृत्यु होना बताकर लाश को घर के अन्दर जिस जगह पर रखवाया, वह जगह चलकर बता सकता हूं''। इसी तरह से अभियुक्त महावीर ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–40 दी कि ''दिनांक 02–09–2023 की रात्रि में कन्हैयालाल द्वारा मेरे भाई कैलाश की हत्या करने के बाद हमने कैलाश की हत्या को छिपाकर जिस जगह पर लाश का अंतिम संस्कार करवाया, वह जगह चलकर बता सकता हूं''। उक्त इत्तिला के आधार पर अभियुक्त महावीर ने नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–28 तस्दीक करवाया, जिसका अवलोकन किया जावे तो ''एक्स'' स्थान पर अभियुक्त महावीर ने दिनांक 02–09–2023 को रात्रि के समय खाट पर मृतक कैलाश की खूनआलूदा लाश पड़ी होना व सबूत मिटाने के लिए मृतक की लाश को मार्क–एक्स स्थान से हटाकर मार्क एक्स–1 पोल में रखना बताया।

35– इसी तरह से **अभियुक्त कन्हैयालाल** ने धारा 27 साक्ष्य की इत्तिला प्रदर्श पी–37

दी कि ''दिनांक 02–09–2023 की रात्रि में मैंने मेरे पिता कैलाश की हत्या करने के बाद जिस जगह पर लाश का अंतिम संस्कार करवाया, वह जगह चलकर बता सकता हूं'' तथा अभियुक्त कन्हैयालाल व महावीर के द्वारा नक्शा–मौका शमशान स्थल प्रदर्श पी–29 तस्दीक करवाया, जिसका अवलोकन किया जावे तो ''एक्स'' स्थान ढेरी में आगे राख है। मुलजिम कन्हैयालाल व महावीर ने धारा 27 की इत्तिला के मुताबिक दिनांक 03–04–2023 को उक्त स्थान पर कैलाश की लाश का सबूत मिटाने के लिए अंतिम संस्कार करना बताया गया। अभियुक्तगण के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के अतिरिक्त अन्य कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शित कर सके कि अभियुक्तगण ने मृतक कैलाश की हत्या कर उसकी हत्या की साक्ष्य को मिटाने के आशय से उसका अंतिम संस्कार कर हत्या की साक्ष्य का विलोपन कारित किया हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण महावीर व कन्हैयालाल के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 201 भा.दं.सं. का आरोप भी साबित करने में असफल रहा है।

36– अतः उपरोक्त समस्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त कन्हैयालाल ने लकड़ी के डण्डे से कैलाश के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की तथा अभियुक्तगण कन्हैयालाल व महावीर ने कैलाश की लाश को मौके से हटाकर उसका अंतिम संस्कार कर हत्या की साक्ष्य का विलोपन कारित किया गया हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त कन्हैयालाल के विरूद्ध धारा 302 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण कन्हैयालाल व महावीर के विरूद्ध धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं।

– <u>आ दे श</u> –

37– अतः अभियुक्त (1) **कन्हैयालाल** पुत्र कैलाश, आयु–30 वर्ष, निवासी भैरूजी का झोपड़ा, टांकावास, पुलिस थाना सावर, जिला–अजमेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भा.दं.सं. से व अभियुक्त (2) **महावीर** पुत्र धन्ना, आयु–42 वर्ष, निवासी–टांकावास, पुलिस थाना सावर, जिला–अजमेर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 201 भा.दं.सं. के अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

38– प्रकरण में फर्द जब्ती अनुसार जब्तशुदा सामान को नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील नष्ट किया जावे। संबंधित मालखाना प्रभारी को इस आशय की तहरीर जारी की जावे।

39– अभियुक्तगण प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण का रिहाई आदेश पृथक से जारी हो।

40– अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपील होने की सूरत में धारा 437ए दं.प्र.सं./धारा 481 बी.एन.एस.एस. के तहत अपीलीय न्यायालय के

समक्ष उपस्थित होने बाबत् 25,000–25,000/–रूपए के जमानत, मुचलके न्यायालय में पेश करें।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

41– निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

–––––––